रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2016/माघ 15, 1937
No. 49] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2016/ MAGHA 15, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 28 जनवरी, 2016

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/1/113/2016.—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए(ए) के साथ पठित धारा 3, 6 तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 के साथ पठित धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"विनियम 4 - पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र

आवेदक निम्नलिखित किसी एक श्रेणी में पुनर्बीमा व्यवसाय हेतु विनियम 3 के अधीन पंजीकरण के आवेदन के लिए माँग-पत्र प्रस्तुत करेगाः

क) श्रेणी I – जिसमें विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के न्यूनतम 50% का प्रतिधारण बनाये रखेगा;

ख) श्रेणी II – जिसमें विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के न्यूनतम 30% का प्रतिधारण बनाये रखेगा।"

3. विनियम 12, 13, 15 और 16 में जहाँ भी शब्द "का अध्यक्ष" दिखाई देते हैं, वहाँ उन्हें छोड़ दिया जाएगा।

4. विनियम 16(छ) में शब्द "अपने परिचालनों में" के पहले शब्द "जिस सीमा तक लागू हो" छोड़ दिये जाएँगे।

5. विनियम 28(9) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता पिछले तीन वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कम से कम अच्छे वित्तीय सुरक्षा लक्षणों से युक्त न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त भारतीय पुनर्बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ताओं) तथा इन विनियमों के विनियम 4(क) के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त कम से कम तीन संस्थाओं से भी अपने विकल्पी (फैकल्टेटिव) और समझौता (ट्रीटी) अधिशेषों के लिए सर्वोत्तम शर्तें प्राप्त करेगा। भारतीय बीमाकर्ता तब निम्नलिखित अधिमान-क्रम में सहभागिता के लिए सर्वोत्तम शर्तों का प्रस्ताव करेगाः

(क) ऊपर निर्दिष्ट किये गये रूप में न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग से युक्त भारतीय पुनर्बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ताओं) को और उसके बाद उनको जिन्हें इन विनियमों के विनियम 4(क) के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो।

(ख) अन्य भारतीय पुनर्बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ताओं) को अथवा उनको जिन्हें इन विनियमों के विनियम 4(ख) के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो।

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) में स्थापित विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों को, केवल उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित सभी संस्थाओं को प्रस्ताव करने के बाद।

(घ) यदि कोई शेष हो तो उसके बाद उनका प्रस्ताव भारतीय बीमाकर्ताओं और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण – प्राधिकरण उसे प्रस्तुत की गई सूचना (रिपोर्टिंग) के आधार पर एक वर्ष की अवधि के बाद इन विनियमों और विशेष रूप से विनियम 28(9) - भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यर्पणों (सेशन्स) के लिए अधिमान-क्रम - के कार्य-चालन की समीक्षा करेगा।"

टी. एस. विजयन
अध्यक्ष
[विज्ञापन. III/4/असा./161/349]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 28th January, 2016

IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) (First Amendment) Regulations, 2016

F. No. IRDAI/Reg/1/113/2016.—In exercise of the powers conferred by section 3, 6 read with 114A(a) of the Insurance Act, 1938, and sections 14 read with 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) (First Amendment) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

2. Regulation 4 shall be substituted with the following:

"Regulation 4 - Requisition for registration application

An applicant shall make a requisition for registration application under regulation 3 for reinsurance business in any one of the following:

a) Category I – wherein the branch office of a foreign reinsurer shall maintain a minimum retention of 50% of the Indian reinsurance business;
b) Category II – wherein the branch office of a foreign reinsurer shall maintain a minimum retention of 30% of the Indian reinsurance business."

3. In Regulations 12, 13, 15 and 16 wherever the words "Chairperson of the" are appearing, they shall be omitted.

4. In Regulation 16(g) the words "to the extent possible" after the words "in its operations" shall be omitted.

5. Regulation 28(9) shall be substituted with the following:

"Every Indian Insurer shall obtain best terms for their facultative and treaty surpluses from Indian reinsurer(s) having a minimum credit rating which is having atleast good financial security characteristics from any of the internationally renowned credit rating agencies for the previous three years and also from atleast three entities which have been granted certificate of registration under Regulation 4(a) of these regulations. The Indian insurer shall then offer the best terms for participation in the following order of preference;

(a) To the Indian re-insurer(s) having a minimum credit rating as given above and thereafter to those granted certificate of registration under regulation 4 (a) of these Regulations.

(b) To other Indian re-insurer(s) or to those granted certificate of registration as per regulation 4 (b) of these regulations.

(c) To the branch offices of foreign reinsurers set up in Special Economic Zone, only after having offered to all entities in (a) and (b) above

(d) The balance, if any, may thereafter be offered to Indian Insurers and overseas reinsurers

Explanation - The Authority will undertake a review of the working of these regulations and in particular operation of Regulation 28(9) – order of preference for cessions by Indian insurers after a period of one year based on the reporting's made to it.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/Exty/161/349]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.